भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1098

उत्तर देने की तारीख : 31.07.2024

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1098 **श्रीमती फूलो देवी नेतम:**
डा. सैयद नसीर हुसैन:
श्रीमती जेबी माथेर हीशम:
श्री दिग्विजय सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन योजनाओं का उनके पात्रता मानदंड सहित ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के तहत शामिल किए गए पात्र लाभार्थियों और सभी व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है;
(ग) वर्ष 2019 से विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत केंद्रीय बजट का वर्ष-वार परिव्यय और व्यय क्या है; और
(घ) पेंशन के भुगतान में देरी को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है जो प्राथमिक तौर पर समाज के कमजोर वर्गों जैसे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए है। एनएसएपी के अंतर्गत आने वाली तीन पेंशन स्कीमों के पात्रता मानदंड तथा उसके ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख): एनएसएपी स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन लाभार्थियों की ऊपरी सीमा (राज्य की ऊपरी सीमा) अथवा एनएसएपी पोर्टल पर डिजिटाईज किए गए लाभार्थियों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। एनएसएपी स्कीमों के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग): वर्ष 2019 से एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन स्कीमों संबंधी वर्ष-वार परिव्यय तथा किये गये व्यय का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(घ): पेंशन के त्वरित संवितरण तथा प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एनएसएपी के अंतर्गत लाभार्थियों के आंकड़ों का डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी); आधार-सीडिंग, मोबाइल-सीडिंग, आधार भुगतान सेतु आदि जैसे उपायों को अपनाया गया है।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत आने वाली पेंशन स्कीमों के पात्रता मानदंड और उसके ब्यौरे

i. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम -** 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 200/- रूपए प्रति माह और 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के लोगों को 500/- रूपए प्रति माह की वित्तीय सहायता।

ii. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम -** 40-79 वर्ष के आयु वर्ग की विधवाओं को 300/- रूपए प्रति माह और 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की विधवाओं को 500/- रूपए प्रति माह की वित्तीय सहायता।

iii. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन स्कीम -** गंभीर अथवा बहु-दिव्यांगता वाले 18-79 वर्ष के व्यक्तियों को 300/- रूपए प्रति माह और 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को 500/- रूपए प्रति माह की वित्तीय सहायता।

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनएसएपी की पेंशन स्कीमों के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या		
		आईजीएनओपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस
1	आंध्र प्रदेश	663736	246832	24412
2	बिहार	3157256	634221	127100
3	छतीसगढ़	644429	203628	32085
4	गोवा	7308	5886	466
5	गुजरात	620548	276078	20327
6	हरियाणा	259865	70808	16583
7	हिमाचल प्रदेश	93178	21974	853
8	झारखंड	918249	254520	25530
9	कर्नाटक	707058	380886	36815
10	केरल	449160	320715	29791
11	मध्य प्रदेश	1575079	546920	101470
12	महाराष्ट्र	1091944	80725	9322
13	ओडिशा	1407189	521410	89379
14	पंजाब	102698	18971	5815
15	राजस्थान	823972	315048	23950
16	तमिलनाडु	1282468	506716	55358
17	तेलंगाना	480315	180720	20578
18	उत्तर प्रदेश	4722613	1025236	85773
19	उत्तराखंड	204557	23898	2880
20	पश्चिम बंगाल	1230862	726172	54610
	उप-योग	20442484	6361364	763097
पूर्वोत्तर राज्य				
21	अरुणाचल प्रदेश	5893	288	112
22	असम	635304	115007	33226
23	मणिपुर	53684	7075	905
24	मेघालय	54380	8024	1558
25	मिजोरम	24524	2278	722
26	नागालैंड	45941	3827	1011
27	सिक्किम	16928	1469	457
28	त्रिपुरा	126461	17231	2030
	उप-योग	963115	155199	40021
संघ राज्य क्षेत्र				
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	581	3	2
30	चंडीगढ़	2378	2486	100
31	दादरा और नागर हवेली तथा दमन एंव दीव	8754	2109	310
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	107834	36361	4539
33	जम्मू और कश्मीर	106697	6445	2077
34	लद्दाख	6486	443	219
35	लक्षद्वीप	120	75	51
36	पुडुचेरी	17713	9821	1271
	उप-योग	250563	57743	8569
	कुल योग	**21656162**	**6574306**	**811687**

स्रोत: एनएसएपी-पीपीएस

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 31.07.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनएसएपी की पेंशन स्कीमों के अंतर्गत स्कीम-वार परिव्यय तथा किए गए व्यय का ब्यौरा:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	परिव्यय	किया गया व्यय
2019-20	8445.25	8202.79
2020-21	8495.25	8297.03
2021-22	8495.25	7812.98
2022-23	8881.31	8714.74
2023-24	9115.94	9098.75
2024-25	8962.89	2154.17*

* दिनांक 25.07.2024 की स्थिति के अनुसार

*****